कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 85 / 2018 / 10–11 / 16/2992 भोपाल, दिनांक 13-09-2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः–जिला रतलाम के अंतर्गत माण्डलिया घाट तालाब परियोजना निर्माण हेतु 14.22 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 021/2019-BHO/405, दिनांक 24 / 05 / 2019

––0––

विषयांतर्गत में उक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र से चाही गयी जानकारी आवदेक विभाग एवं वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :–

1- Comparative analysis of alternatives and map duly certified by DFO,
– इस बिन्दु के पालन मे अन्य विकल्पों का तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं सर्वे आफ इंडिया की 1:50,000 स्केल की टोपोशीट पर अन्य विकल्पों को चिन्हित कर वनमण्डलाधिकारी, रतलाम / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम की हस्ताक्षरित मानचित्र वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रस्ताव के साथ अन्य विकल्पों को चिन्हित किए जाने वाला मानचित्र संलग्न है।

2- CA scheme for 10 years on survey no. 118/4 and 118/3.
– इस बिन्दु के पालन मे 14.22 हे0 वनभूमि के बदले मे खसरा नं. 118 / 4 रकबा 14.22 हे0 गैर वनभूमि मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने की योजना वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा तैयार की गयी है। जो कि वेबपोर्टल पर पर प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु क्र–13 के नीचे अतिरिक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक 1 मे तथा तकनीकी स्वीकृति बिन्दु क्रमांक 3 मे अपलोड है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न है।

3. The DSS analysis shows that the polygon/KML file for proposed diversion area is not prepared correctly. Whereas the polygon/KML file submitted encloses non-forest land showing it as forest land and on the other hand forest land which is part of the submergence is not taken in to the account. therefor, correct polygon/KML file showing all the forest area shall be submitted.

– इस बिन्दु के पालन मे वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा आवेदक विभाग द्वारा चाही गयी 14.22 हे0 वनभूमि का निरीक्षण किया गया, जिसमे प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार वनमंडल के प्रबंधन एवं नियंत्रण मे होना बताया गया है। मानचित्र संलग्न है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

13/9/19
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

–2–

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3(Part-I).docx

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 85 / 2018 / 10–11 / 16 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वैश्वरैया भवन,कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

13/9/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल